

09/06/22

पडावली पेच हुनी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी  
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी,  
आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर  
ले कोई उपस्थित नहीं आया। इसतः प्रार्थी का  
प्रार्थक पत्र अदालत हाजरी अदालत पैरवी में खारीज  
किया जाता है। पडावली फौजदारी शुम्भार होकर  
नम्बर से कम होकर दफ्तर दायरिया है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)